Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 13, Issue 2 | November 2025 - April 2026 | pp. 79-85

भारत में अवैध बांग्लादेशी प्रवास : नीतियाँ, चुनौतियाँ एवं प्रशासनिक कार्यवाही का विश्लेषण

प्रो. डॉ. पांचूराम मीना
संकाय सदस्य, राजनीति विज्ञान विभाग, महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, ढण्ढ आमेर, जयपुर (राजस्थान)
हेमलता धरेंद्र
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, ढण्ढ आमेर, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

भारत-बांग्लादेश संबंध में साझा इतिहास और सांस्कृतिक विरासत, संगीत व साहित्य और कला के लिए आत्मीयता ऐसे विषय हैं जो कि दोनों देशों को एक साथ बांधते हैं। भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद के कई मुद्दे हैं जिनमें बांग्लादेश से भारत में अवैध नागरिकों की घुसपैठ विवाद का अहम मुद्दा है। बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ होती है, जिसके कारण देश की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। घुसपैठिए अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। वहीं जनसंख्या वृद्धि कर संसाधनों पर कब्जा एवं साम्प्रदायिकता का उन्माद पैदा करने के कृत्य किये जाते हैं। इनके कारण देश की आधारभूत सुविधाओं व योजनाओं का आनुपातिक रूप से उचित लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। ये लोग एजेंटों के जरिये देश में आते हैं और फर्जी दस्तावेजों द्वारा नागरिकता से संबंधित दस्तावेज तैयार कर प्रवास करते हैं। भारत-बांग्लादेश संबंधों के बीच एक गंभीर समस्या है। दोनों देशों के बीच शांति सद्भाव बनाये रखने हेतु बांग्लादेश की बीजीबी और भारत की बीएसएफ के उच्चाधिकारियों के बीच समय-समय पर होने वाले सीमा सम्मेलन के दौरान भी ये मुद्दे उठाये जाते हैं परन्तु बांग्लादेश सरकार द्वारा कोई कठोर कार्यवाही अमल में नहीं लायी जाती है बल्कि बांग्लादेश सरकार द्वारा विरोध प्रकट किया जाता है। अब समय आ गया है कि इन घुसपैठियों पर सख्त कार्यवाही की जावें। इस शोधपत्र में अवैध घुसपैठ को रोकने के भारत सरकार द्वारा चलाये गए कार्यक्रम पर विशलेषण करेंगे।

संकेताक्षर—*बांग्लादेश का उदय, घुसपैठ, संसाधन, साम्प्रदायिकता, फर्जी दस्तावेज, नागरिकता*

प्रस्तावना

भारत-बांग्लादेश संबंध एक सभ्य, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जुड़े हुए हैं। वर्ष 1971 में भारत के सहयोग से बांग्लादेश का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ परन्तु लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना करने के जो उद्देश्य निर्धारित किये वे उनमें सफलता हासिल न कर सके। बांग्लादेश के गठन के पश्चात राजनैतिक नेतृत्व द्वारा समय-समय पर भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूती प्रदान करने के बजाय अपने-अपने राजनैतिक हितों के अनुरूप कदम उठाये। दोनों देशों के बीच अनेकों समस्याएँ हैं जिनमें प्रमुख समस्या अवैध घुसपैठ की बनी हुई है जिसे बांग्लादेश नकारता रहता है। अवैध घुसपैठ भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में काफी हद तक बाधा डालता है। अवैध घुसपैठ एवं प्रवास के कारण कई भारतीय राज्यों में बड़े पैमाने पर धीरे-धीरे जनसांख्यिकीय पैटर्न में बदलाव होता प्रतीत हो रहा है। अवैध घुसपैठ भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में काफी हद तक बाधा डालता है। ये अवैध प्रवासी बड़ी संख्या में भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे त्रिपुरा, असम, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में प्रवास कर रहे हैं। जिनके द्वारा स्थानीय एजेंटों की मदद से फर्जी तरीके से नागरिकता संबंधी दस्तावेज तक बनवा लिये। 1971 से पहले बांग्लादेश से भारत आए उन सभी अवैध नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई

थी। लेकिन उसके बाद यह मुद्दा गंभीर हो गया। इस विवाद पर दोनों देशों को तार्किक और संवेदनशील रवैया अपनाने की जरूरत है।

अध्ययन के उद्देश्य

- भारत व बांग्लादेश के बीच अवैध प्रवास की समस्या का विशेषण करना।
- आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कारणों की पहचान करना।
- इस समस्या का भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था व सामाजिक प्रभावों को जानना।
- प्रभावी नीतिगत सुझाव व द्विपक्षीय सहयोग से समस्या का समाधान करना।
- स्वस्थ संबंधों को बनाने का प्रयास करना।

शोध पद्धति

सामाजिक अध्ययन में शोध के लिए अनेक कार्य प्रणालियाँ हैं यह शोध मुख्यतः विद्वानों के विचारों,समाचारों-पत्रों,व लेखनों पर आधारित है इसका उद्देश्य भारत में आने वाले अवैध बांग्लादेशियों को रोकना है जिससे भारत की सीमा सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, नागरिक व राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करना है जो दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करती है। यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित आंकड़ों का उपयोग करके लिखा गया है जिसमें समाचारपत्रों, शोध पत्रिकाओं, आनलाइन लेखों व विभिन्न लेखकों द्वारा रचित पुस्तकों के अध्ययन से एकत्र किया गया है। जिसमें गुणात्मक, वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस शोध के माध्यम से पता चला है कि भारत-बांग्लादेश की आपसी समस्याओं जिसमें अवैध प्रवास की समस्या को सरकार द्वारा चलाये गए कार्यक्रमों से रोका जा सकता है जो भविष्य में संबंधों को स्थायित्व और प्रगाढ़ता की तरफ ले जाएँगे।

बांग्लादेश की अवस्थिति

बांग्लादेश के उत्तर-पश्चिम तथा पूर्वी भाग में भारत अवस्थित है, उत्तर में भारत के पश्चिमी बंगाल, मेघालय, पूर्व में त्रिपुरा व असम राज्य स्थित है। लगभग 4053 किलोमीटर जमीनी सीमा भारत की ओर है तथा 193 किलोमीटर म्यांमार (बर्मा) की ओर है। भारत किसी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी भू-सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत-बांग्लादेश 54 नदियाँ साझा करते है। दोनों देशों के लिये एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग वर्ष 1972 से कार्य कर रहा है।[1] बांग्लादेश भारत के पूर्वी भाग में भारतीय सीमाओं से तीन ओर से घिरा हुआ है तथा इसकी दक्षिणी-पूर्वी सीमा पर म्यांमार (बर्मा) तथा दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। उत्तर की ओर बांग्लादेश की सीमा भारत के उत्तर-पूर्व से मिलती है जो कि कुल मिलाकर 2,800 कि.मी. लम्बी है। इस प्रकार बांग्लादेश की अधिकांश सीमा भारत से लगती है। यह सीमा भू-सीमा और अधिकांशतः अप्राकृतिक सीमा है। बहुत से स्थलों पर सीमा का निर्धारण नदियों के द्वारा किया गया है तथा नदियों के प्रवाह के बदलते रहने एवं नदी प्रदेशों में नये भू-खण्डों के उत्पन्न हो जाने के कारण कुछ विवाद उभरते हैं।[2]

जनसंख्या वितरण

बांग्लादेश की जनसंख्या एवं आवास जनगणना 2022 की प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 16.51 करोड़ (पुरुष 8.17 करोड़ व महिला 8.34 करोड़) है। जिसमें 91.04 प्रतिशत मुस्लिम, 7.95 प्रतिशत हिन्दू, 1.0 प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यक (बौद्ध, ईसाई तथा अन्य समुदाय) समुदाय के लोग हैं। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रतिवर्ष 1.22 प्रतिशत है जो कि इस उपमहाद्वीप में सर्वाधिक है व प्रजनन दर 2.25 है। बांग्लादेश में लिंगानुपात अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तरह ही चिन्ताजनक है, यहाँ प्रति हजार स्त्रियों की तुलना में 1039 पुरुष हैं। देश की कुल जनसंख्या का 31.51 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। जनसंख्या घनत्व 1119 प्रति वर्ग कि.मी. है जो कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में अधिक है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1119 लोग निवास करते हैं जो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 976 था।[3]

अवैध घुसपैठ के मार्ग

बांग्लादेश से भारत में अवैध नागरिकों की घुसपैठ विवाद का अहम मुद्दा है। ऐसे में बांग्लादेश से अवैध तरीके से लोगों का आना भारत के लिए परेशानी का सबब रहा है। भारत-बांग्लादेश की 4,096 किमी लंबी सीमा का बड़ा हिस्सा अभी भी खुला है। 3,232 किमी तक बाड़ लग चुकी है, लेकिन नदियाँ, जंगल और घनी बस्तियाँ घुसपैठ को आसान

बनाती हैं। बांग्लादेशियों के बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास के कारण कई भारतीय राज्यों में धीरे-धीरे जनसांख्यिकीय पैटर्न में बदलाव हो रहा है जो कि देश के लिए खतरे की घंटी है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त बार-बार अवैध प्रवास के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। भारत को वीजा जारी करने में विशेष रूप से सावधान रहना होगा क्योंकि हर साल लगभग 25,000 बांग्लादेशी भारत में प्रवेश करने के बाद वापस नहीं लौटते हैं। बिना रिकॉर्ड के प्रवेश करने वालों की संख्या तो इससे भी बहुत अधिक है। अवैध प्रवासियों के बारे में हमारी चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता"। भारत के केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी रह रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच यह आरोप-प्रत्यारोप के कारण दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करने में काफी हद तक बाधा डालता है। सुरक्षा व अवैध घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य भारत द्वारा बांग्लादेश सीमा पर 3,232 किलोमीटर में बाड़ लगायी गयी है।

रोहिंग्याओं की घुसपैठ 2 डंकी रूटों से होती है। पहला चिकन नेक रूट—देश को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ने वाला एकमात्र इलाका 'चिकन नेक' कहलाता है। इस क्षेत्र को घुसपैठ करने के लिए रोहिंग्या बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। यहां दर्जनों बार मानव तस्करों व घुसपैठिए रोहिंग्या की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरा है बंगा रूट—बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कर भारी संख्या में रोहिंग्या छिपकर रह रहे है। जो रोहिंग्या बंगाल में नहीं रह पाते है वे बिहार व अन्य राज्यों में जाकर बस जाते है। मानव तस्करी में गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ के दौरान ऐसी जानकारियाँ मिलती है कि रोहिंग्या क्षेत्रीय भाषाएँ सीख रहे हैं। वे स्थानीय लोगों के बीच घुलने-मिलने के लिए तेलगु, तमिल, बंगाली, असमी, हिंदी व मराठी भाषाएँ सीख रहे है। कुछ मामलों में यह भी सामने आया है कि रोहिंग्या घुसपैठियों ने न केवल अपना नाम बदला बल्कि अपना धर्म तक बदल लिया है। कुछ हिंदू बन गए तो कुछ ईसाई बनकर रह रहे हैं।[4]

भारत सरकार के कदम

भारत सरकार ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को लेकर सख्त रूख दिखाते हुए इनकी वापसी में तेजी लाने सभी राज्यों में जिला स्तर पर विशेष टास्क फोर्स एवं होल्डिंग सेंटर की स्थापना की गयी तथा इस हेतु अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की वापसी को लेकर गाइडलाइन जारी की। इसमें इनकी पहचान करने, निरुद्ध करने और उनकी वापसी को लेकर विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये है। सभी राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार त्वरित गति से कार्य किये जा रहे हैं।[5]

भारत में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों पर राज्यों में अपने-अपने उपलब्ध सिस्टम के अनुसार की जा रही है। इन अवैध प्रवासियों की स्थिति और इन पर की जा रही कार्यवाही के कुछ उदाहरण निम्नानुसार है—

भारत का अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से देश में जमे हुए हैं। 2016 में सरकार ने संसद में यही आंकड़ा बताया था और तब से हालात और गंभीर हुए हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सख्त है। फरवरी 2025 में न्यायालय ने असम सरकार को अवैध विदेशियों की डिपोर्टेशन प्रक्रिया तेज करने का आदेश दिया। लेकिन कागजी कार्रवाई, कूटनीतिक अड़चनें और बांग्लादेश का टालमटोल रवैया इसे जटिल बनाता है।

भारत ने वर्ष 2024 में 295 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा जिसे बांग्लादेशी सेना ने अस्वीकार्य बताया। भारत की सीमा पर घुसपैठ रोकने के प्रयास जारी हैं। भारत ने जैसे ही अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कसा, ढाका में हड़कंप मच गया। एक तरफ ये घुसपैठिए चोरी-छिपे भारत की सीमाओं में घुसते हैं। बांग्लादेशी सेना के प्रवक्ता ने भारत की इस कार्रवाई को 'अस्वीकार्य' ठहराया और धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर सरकार का आदेश हुआ तो सेना हस्तक्षेप करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग खुद गलत तरीके से भारत में घुसे, उनकी हिम्मत कैसे हुई भारत को आंख दिखाने की?

देश के विभिन्न प्रदेशों में अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जाकर हिरासत लिया जा रहा है जैसे कि जयपुर पुलिस ने जनवरी 2025 में 500 से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा, तो अहमदाबाद और सूरत में अप्रैल 2025 में 1,000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए। बांग्लादेश अब कूटनीति का राग अलाप रहा है।

उनके गृह सलाहकार ने कहा, ऐसी कार्रवाइयां ठीक नहीं, सब कुछ कूटनीतिक चैनलों से होना चाहिए।' उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में रह रहे अवैध भारतीयों को भी 'सभ्य तरीके' से वापस भेजा जाएगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगी। बांग्लादेश की सीमा रक्षक बल (बीजीबी) और भारत की बीएसएफ के बीच पहले भी तनातनी हो चुकी है। जनवरी 2025 में दोनों बलों के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब बांग्लादेश की सीमा रक्षक बल ने भारत की तारबंदी का विरोध किया।[6]

भारत के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ अभियान चल रहे है। इस धरपकड़ अभियान के दौरान गुजरात के अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में 190 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जिनके पास फर्जी आधार कार्ड, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, रेंट एग्रीमेंट बनवाकर भारतीय पासपोर्ट बनवाने जैसे हथकण्डे भी अपनाये गये। इस इलाके से की धरपकड़ के दौरान यह सामने आया कि एक बांग्लादेशी महिला (झरणा शेख उर्फ जोया) ने तो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट तक बनवा लिया था।[7]

बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान बड़ी संख्या में दूसरे देशों के नागरिक मतदाता के तौर पर मिले। बूथ स्तर के अधिकारियों को पुनरीक्षण के दौरान नेपाल, बांग्लादेश व म्यांमार के कई लोगों के बारे में पता चला। इन लोगों ने आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड जैसी सभी तरह के पहचान पत्र बनवा रखे है जिनकी संख्या लाखों में हो सकती है।[8]

राजस्थान की राजधानी जयपुर (भांकरोटा थाना पुलिस) में 12 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जिनके पास कूटरचित दस्तावेज मिले। बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेशी पासपोर्ट से या अवैध रूप से भारत आते है और देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय सहयोगी की मदद से कूटरचित दस्तावेज यथा भारतीय आधार कार्ड, श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि बनवाकर रहते हैं। इन दस्तावेजों मे अपना असली नाम नहीं दर्शाकर फर्जी नाम से दस्तावेज बनवाते है। इन दस्तावेजों के आधार पर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।[9]

भारत के कदमों पर बांग्लादेश का विरोध

भारत में बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की धरपकड़ करके भारत से बांग्लादेश भेजने की कार्यवाही पर बांग्लादेश की सरकार ने नाराजगी जताई है। बांग्लादेश सरकार के विदेशी सलाहकार ने आरोप लगाया कि भारत से 'पुश इन' (भारत से जबरन लोगों को बांग्लादेश सीमा में भेजना) हो रहा है। भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलने वाले हुसैन ने भी माना कि भारत को रोकना उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर इसे हल करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत को राजनयिक नोट भेजेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रिया नियमित रूप से की जाए। बांग्लादेश सरकार ने भारत से लोगों को भेजे जाने के मामले पर प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा है। बांग्लादेश ने भारत की ओर से मिली सूची को सत्यापित उन लोगों को वापस ले लिया, जिनकी बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को तभी स्वीकार किया जाएगा जब उनको बांग्लादेशी होने की पुष्टि हो जाएगी। साथ ही बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कहा है।'[10]

संबंधों की तारतम्यता हेतु महानिदेशक स्तर की वार्ता

महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता 1975 और 1992 के बीच सालाना आयोजित की जाती थी, लेकिन 1993 में इसे द्विवार्षिक कर दिया गया, जिसमें दोनों पक्ष बारी-बारी से नई दिल्ली और ढाका में वार्ता आयोजित करते हैं। वार्ता का संस्करण 05 से 9 मार्च 2024 तक ढाका में आयोजित किया गया था, जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश गया था। बांग्लादेश में 05 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने के कारण बीएसएफ और बीजीबी महानिदेशक (डीजी) स्तर की वार्ता नवम्बर 2024 में नहीं हो सकी थी। लेकिन दोनों देश अपनी-अपनी फोर्सेज के चीफ के साथ इस मीटिंग को हेतु सहमत होने पर भारत में 55वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन (17 से 20 फरवरी 2025 तक) बल मुख्यालय, बीएसएफ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ तथा 57वां सम्मेलन 25 से 28 अगस्त 2025 तक बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश मुख्यालय, पिलखाना, ढाका में आयोजित किया गया।

उपरोक्त सम्मेलनों में भारत की ओर से बीएसएफ के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं में बांग्लादेश स्थित अपराधियों/उपद्रवियों द्वारा बीएसएफ कर्मियों और भारतीय नागरिकों पर हमले/हमले/दुर्व्यवहार/ पत्थरबाजी के खिलाफ रोकथाम, सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास, बांग्लादेश में भारतीय विद्रोही समूहों (आईआईजी) के खिलाफ कार्रवाई, बीजीबी द्वारा पकड़े गए अवैध बीडी प्रवेशकों को नकारना और उन्हें लेने में देरी, सीमा बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे, एसआरएफ का निर्माण, समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संयुक्त प्रयास, विश्वास निर्माण उपाय (सीबीएम) हवाई उल्लंघन (ड्रोन घुसपैठ सहित), बांग्लादेशी मीडिया द्वारा सीमा मुद्दों की गलत रिपोर्टिंग/गलत व्याख्या और अन्य विविध गतिविधियाँ शामिल थीं, जबकि बीजीबी के एजेंडे में सीमा पार अपराधों की रोकथाम, बीएसएफ/भारतीय पुलिस/भारतीय नागरिकों, तस्करों और बदमाशों द्वारा बांग्लादेश क्षेत्र में सीमा उल्लंघन/अवैध क्रॉसिंग/घुसपैठ, सीमा पर हत्या, अगरतला से अखौरा तक जल, सीमा सीमांकन, सर्वेक्षण और स्तंभों का निर्माण, बीएसएफ और भारतीय नागरिकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर अवैध निर्माण कार्य, नदी तट संरक्षण कार्य और जल बंटवारा, शिविरों का स्थान और भारत के अंदर सशस्त्र बदमाशों की आवाजाही, सीबीएमपी का प्रभावी कार्यान्वयन, विश्वास निर्माण उपाय और अन्य विविध गतिविधियाँ। दोनों पक्षों के बीच वार्ता के मुद्दों पर काम किया जा रहा है। इस वार्ता से दोनों सीमा रक्षक बलों को सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत प्रणालियाँ स्थापित करने में मदद मिलती है।[11]

दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से, जैसा कि वर्तमान शीर्ष नेतृत्व द्वारा परिकल्पित है, दोनों पक्षों के एजेंडे पर विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए—

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की चिंताओं की सराहना की और समन्वित गश्त बढ़ाने, सतर्कता बढ़ाने और ईमानदार प्रतिबद्धताओं जैसे अतिरिक्त एहतियाती उपाय अपनाकर सीमा पार अपराध को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्ष जन जागरूकता कार्यक्रमों को तीव्र करके, संवेदनशील क्षेत्रों में उपयुक्त सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम चलाकर, सीमावर्ती आबादी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पवित्रता के बारे में शिक्षित करके और अपराधियों/निवासियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने से रोककर हमले/सीमा अपराध की घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर भी सहमत हुए।

दोनों पक्षों ने विभिन्न नशीले पदार्थों (विशेष रूप से याबा), आग्नेयास्त्रों, एफआईसीएन, सोने आदि जैसे प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी के खतरे को रोकने में समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) के महत्व पर प्रकाश डाला और वास्तविक समय की जानकारी साझा करने और सक्रिय तस्करी विरोधी प्रयासों के माध्यम से तस्करी को रोकने के लिए सतर्क और दृढ़ रहने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों पक्षों ने सीमावर्ती लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उल्लंघन/अवैध पारगमन/घुसपैठ, तस्करी, मानव तस्करी, सीमा स्तंभों को उखाड़ने और अन्य सीमा-पार अपराधों से बचने के लिए जागरूक करने हेतु प्रभावी कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर लंबित विकास कार्यों की सहमति के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करने पर पारस्परिक सहमति व्यक्त की। दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर और अनावश्यक बाधाओं के बिना, संयुक्त नदी आयोग द्वारा अनुमोदित साझा सीमावर्ती नदियों के किनारे नदी तट संरक्षण कार्यों को सुगम बनाने पर भी सहमत हुए। सीमा सुरक्षा बल ने एसआरएफ के शीघ्र निर्माण के एजेंडे पर बल दिया, जिसमें रक्षा क्षमता नहीं है और यह सीमा-पार अपराधों को रोकने और उन पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय होगा। दोनों पक्ष एकल पंक्ति बाड़ लगाते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर सहमत हुए।

सीमा-पार विद्रोही समूहों/संदिग्ध शिविरों के संबंध में, दोनों पक्ष ऐसे किसी भी समूह/गतिविधि के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखाने और वास्तविक समय की जानकारी के आधार पर संबंधित सीमा पर समवर्ती कार्रवाई करने पर सहमत हुए।

दोनों पक्षों ने सम्मेलन के परिणामों पर संतोष व्यक्त किया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने अस्थायी रूप से अगला महानिदेशक स्तरीय सम्मेलन मार्च 2026 में उपयुक्त समय पर नई दिल्ली, भारत में आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।[12]

भारत एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करता है। भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और विकास साझेदार के रूप में देखता है और राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों देशों के लोगों के साझा हितों को आगे बढ़ाने की दिशा में रचनात्मक सहयोग की इच्छा रखता है। यद्यपि भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है, फिर भी बांग्लादेश द्वारा संबंधों की सकारात्मक रूपरेखा बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में हमारी अपेक्षाओं से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भी अवगत करा दिया गया है। दिसंबर 2024 में विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री की ढाका यात्रा के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया गया और 16 फ़रवरी 2025 को मस्कट में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार श्री मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की बैठक के दौरान भी इसे दोहराया गया।[13]

बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पड़ोस, भरोसेमंदता और रणनीतिक महत्व पर आधारित हैं, जिसे दक्षिण एशिया के इस बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। भारत की भू-राजनीतिक और सामरिक गणना में बांग्लादेश की प्रधानता के कारण मौजूद हैं। सबसे पहले, दक्षिण एशिया के पूर्वी भाग में बांग्लादेश की अद्वितीय स्थिति उसे भूटान, भारत और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई राज्यों को आसियान और पूर्वी एशिया के अन्य देशों से जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है। दूसरे, बांग्लादेश पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी भारत की सुरक्षा प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण सहयोगी भूमिका निभा सकता है। यदि बांग्लादेश भारत के साथ सहयोग करने के लिए सहमत नहीं होता है, तो भारत के लिए इन हिस्सों से उग्रवाद पर अंकुश लगाना लगभग मुश्किल है। तीसरा, वैश्वीकरण की दुनिया में आर्थिक विकास के लिए व्यापार मायने रखता है। बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। चौथा, बांग्लादेश पर अधिक ध्यान दिया जाता है क्योंकि पड़ोसी देशों में 40 से अधिक नदियाँ हैं। बांग्लादेश एक निचला तटवर्ती राज्य है, इसलिए उसे इन नदियों से पानी का उचित हिस्सा नहीं मिलता है। हालाँकि, बांग्लादेश के साथ नदी के पानी को उचित रूप से साझा करने में भारत की विफलता न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और भारत के दूर के राज्यों के लिए भी विनाशकारी होगी। अंततः, यह स्थिर, सहनशील और प्रगतिशील है। आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य प्रकार के अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बांग्लादेश भारत के लिए जरूरी है।

दोनों देशों के बीच इस प्रकार के समाधान को क्रियान्वित करने में विभिन्न कठिनाइयाँ हैं—(1) दोनों देशों की सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है क्योंकि यह कई स्थानों पर घरों, बाजारों और गाँवों के माध्यम से सीमांकित है। (2) कई स्थानों पर नदियों के केन्द्रों को सीमाओं के रूप में चिन्हित किया गया है। (3) दोनों देशों ने विभिन्न समझौतों के माध्यम से एक-दूसरे के नागरिकों को अपने क्षेत्रों में मछली पकड़ने का अधिकार प्रदान किया है। (4) दोनों के बीच 'विपरीत व्यवसाय' की समस्या भी है। भूमि एक देश की होती है जबकि खेती दूसरे देश के नागरिकों की होती है इसलिए विवादों पर दोनों देशों को तार्किक और संवेदनशील रवैया अपनाने की जरूरत है।

निष्कर्ष

घुसपैठियों में अधिकांश अकुशल श्रमिक होते हैं, कुछ सीमा पार करने के बाद घरेलू कामगार के रूप में काम करते हैं, जबकि कुछ कृषि श्रमिक और शहद संग्राहक के रूप में आते हैं। कुछ निर्माण श्रमिक/पेंटर, वस्त्र उद्योग में कामगार और मशीन ऑपरेटर के रूप में काम करते है। बांग्लादेश से घुसपैठ का मुख्य कारण गरीबी, अत्यधिक जनसंख्या, राजनीतिक उत्पीड़न, पर्यावरण का क्षरण व परिवार का पुनर्मिलन जैसे मुद्दे है जिनके कारण भारत में अवैध तरीकों से ये लोग आते है। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ एक गंभीर सुरक्षा समस्या बन चुकी है। विभिन्न गैंग बांग्लादेशियों को भारत लाकर उन्हें फर्जी दस्तावेज बनवाकर बसाते हैं। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठियों का आना देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर संकट के रूप में सामने आया है। पड़ोसी देश से आए घुसपैठिये न सिर्फ देश के संसाधन पर कब्जा जमाते हैं, बल्कि आम नागरिकों के हक पर भी चोट करते हैं। देश में कई स्थानों पर बांग्लादेशी घुसपैठिये आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त पाए गए हैं। बांग्लादेश से सटे भारतीय बॉर्डर पर घुसपैठ का खेल सालों से चल रहा है। ज्यादातर घुसपैठ पश्चिम बंगाल के रास्ते होती है, जहां बड़े-बड़े गैंग काम करते हैं। ये गैंग

बांग्लादेश से लोगों को लाने, फर्जी दस्तावेज बनाने और भारत के शहरों में बसाने का पूरा काम संभालते हैं।

घुसपैठ कराने वाले गैंग कई हिस्सों में बंटे होते हैं। पहला हिस्सा बांग्लादेश में लोगों को चुनता है और बॉर्डर पार कराता है। दूसरा हिस्सा भारत में बॉर्डर से रेलवे या बस स्टैंड तक पहुंचाता है। तीसरा हिस्सा कोलकाता या अन्य शहरों से ट्रेनों के जरिए यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भेजता है। चौथा हिस्सा झुग्गियों में रहने-खाने और छोटे कामों का इंतजाम करता है। बाद में फर्जी आधार और वोटर आईडी बनवाकर उन्हें आम नागरिक जैसा बना दिया जाता है। इस पूरे खेल में दलालों का पहाड़ी रास्ते से, पानी के रास्ते एवं समतल जमीन से घुसपैठ कराने की अलग-अलग रेट तय है। भारत द्वारा बांग्लादेश को बनाने में अकल्पनीय सहयोग प्रदान किया जिसे वर्तमान नेतृत्व को समझना होगा तथा भारत जैसे विशाल देश से विकास के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करके देश की उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए। अगस्त 2024 के पश्चात बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार के प्रमुख व सहयोगी मंत्रियों द्वारा समय-समय पर गैर-जरूरी वक्तव्य जारी करके दोनों देशों के बीच तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। इससे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश का ही है भारत पर ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। भारत के दुश्मनों से अल्पकालिक व्यवहार स्थापित करके कुछ समय के लिए संबंधों की प्रगाढ़ता को कम की जा सकती है परन्तु भौगोलिक रूप से दोनों देशों की सीमाएं मिलती है अतः दोनों देशों के आपसी हितों की भविष्योन्मुखी योजनाओं पर कार्य सम्पादित कर दोनों देशों के बीच संबंधों में पुनः प्रगाढ़ता स्थापित की जानी चाहिए।

संदर्भ सूची

1. सिराजुदीन, इस्लाम ए, हिस्ट्री आफ बांग्लादेश, मावला ब्रदर्श पब्लिशर्स, ढाका, 2003
2. उपर्युक्त
3. जनसंख्या और आवास जनगणना, प्रारंभिक रिपोर्ट, बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो, सांख्यिकी और सूचना प्रभाग, योजना मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार, ढाका, अगस्त 2022
4. दैनिक भास्कर, 26.01.2025
5. राजस्थान पत्रिका, 09.05.2025
6. भारत ने दुखती रग पर रखा हाथ तो बिलबिलाने लगा बांग्लादेश, पड़ोसी सेना हमें दे रही धमकी, पहले चोरी फिर सीनाजोरी, न्यूज18, योगेन्द्र मिश्रा, 27 मई 2025
7. राजस्थान पत्रिका, 13.05.2025
8. बिहार की वोटर लिस्ट में बांग्लादेश के नागरिक, राजस्थान पत्रिका, 14 जुलाई, 2025
9 राष्ट्रदूत, पृ.स. 2, 24.10.2024
10. भारत को रोकना तो मुमकिन नहीं..., अवैध बांग्लादेशियों पर इंडिया ने लिया एक्शन तो निकली यूनुस सरकार की हेकड़ी, जानें क्या कहा, रिजवान नवभारतटाइम्स.कॉम, 4 जून 2025
11. पीटीआई धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा का आलेख, एलएसी और एलओसी के बाद अब भारत-बांग्लादेश के बीच भी शुरू हुआ सीमा-विवाद, जानें पूरा मामला', 15 जनवरी 2025
12. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की वेबसाइट से साभार
13. राज्यसभा में भारत के विदेश मंत्री का वक्तव्य से साभार, 17 मार्च 2025